भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3039

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में पैनिक बटन और जीपीएस

3039. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सार्वजनिक बसों और टैक्सियों में पैनिक बटन और जीपीएस लगाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत 20.03.2023 को दिल्ली सरकार को 6.328 करोड़ रुपये जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में उक्त योजना को लागू न कर पाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्र सरकार, इस योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि का योगदान (शेयर) प्रदान करती है और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा सूचित किया गया है, दिल्ली में सार्वजनिक बसों और टैक्सियों में पैनिक बटन और जीपीएस संस्थापित करने की योजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

i) व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) पोर्टल (https://vlts.delhi.gov.in/) विकसित किया गया है।

ii) वीएलटी प्रणाली के तहत आपातकालीन चेतावनी प्रणाली (ईएएस) की समग्र निगरानी के लिए कश्मीरी गेट अंतर राज्यीय बस टर्मिनस (आईएसबीटी), दिल्ली में कमान और नियंत्रण केंद्र (सीसीसी) की स्थापना की गई है।

iii) अब तक, दिल्ली के 64,000 से अधिक सार्वजनिक सेवा वाहनों में वीएलटी उपकरण संस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अधीन आने वाली सभी बसें जीपीएस डिवाइस और पैनिक बटन से लैस हैं।

(ख) सरकार ने सार्वजनिक सेवा वाहनों की निगरानी के लिए बैकएंड एप्लिकेशन सहित कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने के लिए उक्त योजना के तहत दिनांक 20.03.2023 को दिल्ली के परिवहन

विभाग को 6.328 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। हालांकि, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि पहले की वीएलटीएस, ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) -140 के अनुरूप नहीं थे और इसे उचित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। अत: "एआईएस 140 मानकों के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए वाहन ट्रैकिंग और निगरानी के लिए बैकएंड सिस्टम और निगरानी केंद्र" के कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग, एनसीटी दिल्ली द्वारा एक नई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) आधारित प्रणाली लागू की गई थी।
